<u>नागरिक सुरक्षा (CIVIL DEFENCE)</u>

<u>पृष्ठभूमि :</u>

एक सरकारी इकाई के रूप में नागरिक सुरक्षा का गठन आजादी के पूर्व अंग्रेज हुकुमत द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व किया गया। अगस्त, 1937 में गर्वनर जनरल के सचिव (लोक) [Secretary to the Governor General (Public)] की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय हवाई हमला निवारण समिति (Central Air Raid Precaution Committee) का गठन किया गया। अन्य सम्बन्धित विभागों के पदाधिकारी इसके सदस्य थे। कुछ ही दिनों बाद गर्वनर जनरल द्वारा हवाई हमला निवारण (Central Air Raid Precaution Committee) का विषय गृह विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया। यहां इसके संचालन हेतु एक कोषांग का गठन किया गया। यह व्यवस्था 24 अक्टूबर, 1941 तक चलती रही। पहली बार 24 अक्टूबर, 1941 को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद् में डा0 राघविन्द्र राव को नागरिक सुरक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1942 में नागरिक सुरक्षा का व्यापक विस्तार हुआ तथा 1943 में यह अपनी चरम स्थिति में कार्यशील रहा। सितम्बर, 1943 से नागरिक सुरक्षा विभाग रक्षा विभाग के एक शाखा के रूप में कार्यशील हुआ। अगस्त, 1945 में नागरिक सुरक्षा विभाग गृह विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा तब से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत है।

आजादी के उपरांत नागरिक सुरक्षा के ढ़ांचा को व्यवस्थित करने हेतु 24 मई, 1968 को भारत सरकार द्वारा ''**नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968**'' लागू किया गया। इसके आलोक में देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा कोर को संगठित किया गया। इसके उपरांत दिनांक 21 जनवरी, 2010 को ''**नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009**'' लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा नागरिक सुरक्षा कोर को आपदा प्रबंधन से प्रत्यक्षतः जोड़ा गया। नागरिक सुरक्षा के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित हैंः–

1. जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना;
2. सम्पत्ति की क्षति को कम करना;
3. उत्पादन जारी रखना;
4. जनता के मनोबल को उॅचा बनाये रखना।

नागरिक सुरक्षा का प्रशासनिक ढांचा

(क) केन्द्र स्तर पर–

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

महानिदेशक अग्निशमन सेवा,
नागरिक सुरक्षा (DG FS, CD & HG)

(ख) राज्य स्तर पर–

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार

नागरिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार
कार्यालय प्रधान– महानिदेशक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा बिहार

1. **ज़िला नागरिक सुरक्षा कार्यालय**

कार्यालय प्रधान– ज़िलाधिकारी–सह–नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा

2. **नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (CIVIL DEFENCE TRAINING INSTITUTE- CDTI)**

आनन्दपुर, बिहटा, पटना

उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा

(नागरिक सुरक्ष **अनुदेशक**, कार्यालय स्थापना)

भारत सरकार द्वारा राज्य में नागरिक सुरक्षा की स्थापना हेतु सर्वप्रथम **वर्ष 1953** में पत्र प्राप्त कराया गया। कालान्तर में भारत–चीन तनाव के परिप्रेक्ष्य में राज्य में नागरिक सुरक्षा **वर्ष 1962** से सुचारू ढ़ंग से कार्यशील किया गया। यह निदेशालय पूर्व में गृह विभाग के अधीन था तथा वर्ष 2007 से यह निदेशालय आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्य तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर नागरिक सुरक्षा शहरों का समय–समय पर पुनर्निर्धारण किया जाता है। विगत में अंतिम रूप से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक VIII-11011/41/98-DGCD(CD) दिनांक 01.06.1999 द्वारा नागरिक सुरक्षा शहरों का पुनर्निर्धारण किया गया।

उल्लेखनीय है कि जिस शहर में महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान या हवाई पट्टी स्थित है उन्ही शहरों को नागरिक सुरक्षा हेतु चयनित किया गया था। कालान्तर में नागरिक सुरक्षा शहरों को उन जिलों के सीमा क्षेत्र तक विस्तारित कर

दिया गया है। तदालोक में वर्तमान में पूर्व के घोषित नागरिक सुरक्षा शहर अब नागरिक सुरक्षा जिला के रूप में कर्णांकित है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में बिहार के 4 जिलों को हवाई हमला चेतावनी प्रणाली (Air Raid Warning System) से आच्छादित किया गया है। इन जिलों में नागरिक सुरक्षा कार्यशील है।

बिहार के हवाई हमला चेतावनी प्रणाली (Air Raid Warning System) से आच्छादित जिले निम्नवत हैः–

1. **पटना** 2. **बेगूसराय** 3. **कटिहार** 4. **पूर्णियॉ**

DGCD(CD) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपरोक्त नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कराते हुए उनका नामक्रमांकन (Enrolled) किया गया है जिनकी जिलावार संख्या निम्नवत हैः–

पटना	2698	सरकार के निदेशानुसार वर्ष 2015 के पश्चात् नये स्वयंसेवक **नहीं बनाये गये हैं**।
बेगूसराय	1110	
कटिहार	1268	
पूर्णिया	485	
कुल	5561	

जिलों में निष्क्रिय स्वयंसेवकों की छँटाई तथा नये स्वयंसेवकों का नामक्रमांकन सतत् जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ये प्रशिक्षित स्वयंसेवक जिला, राज्य तथा आवश्कता पड़ने पर देश के किसी भी हिस्से में अपनी सेवा देने हेतु तत्पर रहते हैं। वर्तमान में प्रत्येक सेवक का प्रतिदिन मानदेय रूपये 400/– अनुमान्य है।

वर्ष 2016 में राज्यादेश सं0 एम0/सी0डी0–66/10–2954/आ0प्र0 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा बिहार के बहुआपदा प्रवण निम्नांकित 24 अन्य ज़िलों में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से नागरिक सुरक्षा ज़िला के रूप में संगठित किये जाने की स्वीकृति देते हुये इन ज़िलों में नागरिक सुरक्षा के गठन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 192 पदों का सृजन किया गया हैः–

क0 सं0	ज़िला	क0 सं0	ज़िला	क0 सं0	ज़िला	क0 सं0	ज़िला
1	पटना	8	मधुबनी	15	लखीसराय	22	शिवहर
2	पूर्णिया	9	समस्तीपुर	16	शेखपुरा	23	पश्चिम चम्पारण
3	कटिहार	10	दरभंगा	17	सुपौल	24	पूर्वी चम्पारण
4	बेगूसराय	11	गोपालगंज	18	मधेपुरा	25	वैशाली
5	अररिया	12	सिवान	19	सहरसा	26	नालन्दा
6	किशनगंज	13	सारण	20	मुजफ्फरपुर	27	बक्सर
7	भागलपुर	14	खगड़िया	21	सीतामढ़ी	28	भोजपुर

नोटः– इन ज़िलों में **नागरिक सुरक्षा कोर कार्यशील** किया जाना प्रक्रियाधीन है।

नागरिक सुरक्षा निदेशालय, ज़िला कार्यालय तथा आनन्दपुर, बिहटा, पटना स्थित नवनिर्मित राज्य स्तरीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (Civil Defence Training Institute-CDTI) की कार्यशीलता की स्थिति

(क) नागरिक सुरक्षा निदेषालय, बिहार, पटना के स्वीकृत एवं कार्यरत बल की विवरणीः–

क्रम सं0	पदनाम	लेवल / ग्रेड–पे	स्वीकृत बल	कार्यरत बल
1	(i) पुलिस महानिदेशक–सह– आयुक्त, असैनिक सुरक्षा, बिहार, पटना।	लेवल–16	1	1
2	(ii) अपर पुलिस महानिदेशक–सह–अपर असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना	लेवल–15	1	1
	(iii) पुलिस उप महानिरीक्षक, नागरिक सुरक्षा बिहार, पटना	लेवल–14	1	1
	(iii) पुलिस अधीक्षक–सह– सहायक निदेशक, असैनिक सुरक्षा, बिहार, पटना	लेवल–11	1	1
	(iv) अवर सचिव	लेवल–11	1	–
	(v) प्रशाखा पदाधिकारी	5400 (अपुनरीक्षित ग्रेड–पे)	2	1
	(vi) आप्त सचिव	5400 (अपु0 ग्रेड–पे)	1	1
3	(i) सहायक	4600 (अपु0 ग्रेड–पे)	8	1
	(ii) निजी सहायक	4600 (अपु0 ग्रेड–पे)	1	–
	(iii) उच्च वर्गीय लिपिक	2800 (अपु0 ग्रेड–पे)	3	1
	(iv) चालक		1	–
	(v) कार्यालय परिचारी	1800 (अपु0 ग्रेड–पे)	4	
	(vi) कम्प्यूटर ऑपरेटर	संविदा (बेल्ट्रान)	3	3
		कुल	28	11

नागरिक सुरक्षा ज़िलों के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की विवरणी

क्र० सं०	पदनाम	प्रोन्नति / सीधी भर्त्ती का पद	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	अभ्युक्ति
1	उप नियंत्रक	प्रोन्नति	28	शून्य	रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
2	नागरिक सुरक्षा अनुदेशक	सीधी भर्त्ती	105	02	
3	आशुलिपिक	सीधी भर्त्ती	04	01	
4	भंडारपाल / वरीय लिपिक	प्रोन्नति	28	03	
5	निम्नवर्गीय लिपिक	सीधी भर्त्ती	54	04	
6	समूह ''घ''	सीधी भर्त्ती	21	04	
		कुल	240	14	

आनन्दपुर, बिहटा, पटना स्थित नवनिर्मित राज्य स्तरीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (Civil Defence Training Institute- CDTI) से संबंधित वर्तमान स्थिति–

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा आनन्दपुर, बिहटा, पटना में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (CDTI) के भवनों के निर्माण के उपरान्त निदेशालय द्वारा इसी वर्ष दिनांक 03.07.2019 को इसे अधिप्राप्त कर लिया गया है। तत्काल इसमें गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है। निकट भविष्य में इसे और अधिक साधन सम्पन्न करते हुये इसमें नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन से जुड़े राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की योजना है।

....